राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2910/2024

श्रीमती रेखा मीणा —**अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा बसवा, जिला दौसा।
5. श्री शिव लहरी शर्मा, उप प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पंडितपुरा, बसवा, दौसा।

—**प्रत्यर्थीगण**

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.09.2024
आदेश की दिनांक : 22.10.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री धीरज गुप्ता, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 11.09.2024 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 13.09.2024 को

अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पंडितपुरा बसवा, जिला दौसा में कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पंडितपुरा बसवा, जिला दौसा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.09.2024 के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1470/2024 प्रस्तुत की, जिसमें अपीलार्थी को एपीओ आदेश पर रोक लगाई गई और नये सिरे से नियमानुसार स्थानांतरण करने के लिये स्वतंत्रता दी गई। आलोच्य आदेश दिनांक 11.09.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण/समायोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नांगल सुमेर सिंह महुवा में किया गया। अधिकरण के आदेश में अपीलार्थी को स्थानांतरण करने की स्वतंत्रता दी गई लेकिन चुनौती आदेश में यह अंकित किया गया कि अपीलार्थी को समायोजित किया जा रहा है, जो अनुचित है। अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में तत्काल समय में किया गया था, उस समय अपीलार्थी के स्थान पर अन्य किसी का पदस्थापन नहीं किया गया था और इस प्रकार समायोजन विधि अनुसार नहीं है। समायोजन एक पद पर एक से अधिक कर्मचारी होने पर किया जाता है। जबकि वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी ही कार्यरत है। इस प्रकार जारी किया गया आलोच्य आदेश बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये जारी किया गया है। चुनौती आदेश दिनांक 11.09.2024 स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में जारी किया गया है, जिसमें उक्त आदेश जारी करने से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति लिया जाना आवश्यक है और बिना अनुमति के यह आदेश जारी किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 11.09.2024 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 13.09.2024 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पंडितपुरा बसवा, जिला दौसा में कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध मनमाने आचरण की एक शिकायत स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा ग्रामीणजनों द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई और उक्त कार्यालय के पत्र दिनांक

18.06.2024 के द्वारा शासन सचिव शिक्षा को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की गई। इस प्रकार अपीलार्थी का कार्य व्यवहार उत्तम नहीं रहा है। आलोच्य आदेश दिनांक 11.09.2024 सक्षम अधिकारी के स्तर पर जारी किया गया है। साथ ही प्रकरण में पारित शासन के पत्र दिनांक 30.08.2024 की अनुपालना में जारी किया गया है। अपीलार्थी को विभागीय आदेश दिनांक 15.03.2024 के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय बीकानेर किया गया था, जिसे माननीय अधिकरण द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 28.03.2024 पारित किया गया और नियमानुसार नये सिरे से स्थानांतरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई और सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरांत अपीलार्थी को नये सिरे से पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी का पदस्थापन दौसा जिले में ही किया गया है। अपीलार्थी को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में जारी आदेश दिनांक 11.09.2024 की पालना में दिनांक 13.09.2024 को कार्यमुक्त किया गया है, जो पूर्णतया उचित है और प्रतिबंध अवधि में स्थानांतरण पर प्रतिबंध होने के कारण पत्रावली माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्रशासनिक सुधार विभाग, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित की गई और पत्रावली पर सक्षम स्तर से की गई टिप्पणी/स्वीकृति की अनुक्रम में ही शासन का पत्र दिनांक 30.08.2024 एवं आलोच्य आदेश दिनांक 11.09.2024 जारी किया गया है, जो सक्षम स्तर से अनुमोदित है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि अपीलार्थी के विरूद्ध की गई शिकायत मनगढंत एवं झूठी है और अपीलार्थी को पदस्थापन स्थान से हटाने के उद्‌देश्य से आलोच्य आदेश जारी किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10490/2024 में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2024 में स्पष्ट है कि प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र दिनांक 04.01.2023 के अनुसार संबंधित विभाग आवश्यक एवं विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किये बिना मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बिना आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश अनुचित व अवैध है और इस प्रकार नियमानुसार पूर्ण अनुमति माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लिये बिना आलोच्य आदेश जारी किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पंडितपुरा बसवा, जिला दौसा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.09.2024 के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1470/2024 प्रस्तुत की, जिसमें अपीलार्थी को एपीओ आदेश पर रोक लगाई गई और नये सिरे से नियमानुसार स्थानांतरण करने के लिये स्वतंत्रता दी गई और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 11.09.2024 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नांगल सुमेर सिंह महुवा में किया गया। जहां तक अपीलार्थी को उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 11.09.2024 के द्वारा पंडितपुरा, बसवा, जिला दौसा से नांगल सुमेर सिंह महुवा, जिला दौसा किये जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का पदस्थापन नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है और दौसा जिले के अंदर ही अपीलार्थी को पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी वर्ष 2003 से दौसा जिले में ही पदस्थापित है और वर्तमान पदस्थापन स्थान पर लगभग 2 वर्ष से पदस्थापित है और किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें जनहित को ध्यान में रखते हुये कहां पर ली जानी हैं। अनुलग्नक आर–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत एवं ग्राम वासियों द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को शिकायत की गई है और विभाग द्वारा उक्त शिकायत के क्रम में अपीलार्थी को नांगल सुमेर सिंह महुवा, जिला दौसा पदस्थापित किया गया है, जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। जहां तक अपीलार्थी को स्थानांतरण आदि पर पूर्ण रूप से लगे प्रतिबंध के बावजूद एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति के बिना पदस्थापन किये जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक आर–5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में अनुमोदन हेतु नोटशीट चलाई गई जो क्रमानुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय कार्यालय तक प्रेषित हुई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में नियमानुसार पदस्थापन हेतु पत्रावली अनुमोदन के संबंध में सक्षम स्तर तक भेजी गई है, जिसमें हम किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। इस प्रकार हम अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय की अनुमति के बिना अथवा उच्च स्तर तक पत्रावली भेजे बिना अपीलार्थी का पदस्थापन किया गया है। इस प्रकार

अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया आलोच्य आदेश दिनांक 11.09.2024 नियमों एवं निर्देशों को ध्यान में रखते हुये जारी किया गया है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर हम अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं पाते हैं। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष